

**प्रेस नोट-**  
**थाना नवाबाद, जनपद झाँसी**

**दिनांक – 30.03.2026**

- जनपद झाँसी पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही प्रभावी कार्यवाही.
- थाना नवाबाद पुलिस द्वारा दहेज हत्या के अभियोग में नामजद अभियुक्त गिरफ्तार
- गिरफ्तार अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

कृपया अवगत कराना है कि श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर, श्री आलोक सिंह व श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक, झाँसी परिक्षेत्र, झाँसी श्री आकाश कुलहरि के मार्गदर्शन व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झाँसी श्री बी.बी.जी.टी.एस. मूर्ति के कुशल निर्देशन में जनपद झाँसी में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध झाँसी पुलिस द्वारा की जा रही प्रभावी कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 30.03.2026 को थाना नवाबाद पुलिस द्वारा थाना हाजा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 154/26 धारा 85/80(2)/352 BNS व 3/4 DP ACT में वांछित अभियुक्तगण 1. रामजी यादव पुत्र रामानन्द यादव 2. रामानन्द यादव पुत्र स्व0 हरदयाल सिंह निवासीगण महाराणा प्रताप नगर पिछोर सरस्वती ज्ञान मन्दिर के बगल में थाना नवाबाद जिला झाँसी को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश करते हुए जिला कारागार में निरुद्ध किया गया।

**संक्षिप्त विवरण –**

दिनांक 27.03.2026 को आवेदक श्री लक्ष्मी नारायन यादव पुत्र श्री अमर सिंह यादव निवासी गंज गेट बाहर आवास कॉलोनी गुदरई ओरछा थाना ओरछा जिला निवाड़ी (म0प्र0) द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र के आधार पर अभियुक्तगण/ससुरालीजन द्वारा वादी की पुत्री से अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करना व मारपीट करना व वादी को गाली-गलौज करना व वादी की पुत्री की हत्या कर देने के संबंध में अभियुक्तगण 1. (पति) रामजी यादव पुत्र रामानन्द यादव 2. (ससुर) रामानन्द यादव पुत्र अज्ञात निवासीगण महाराणा प्रताप नगर गुमनावारा थाना नवाबाद झाँसी के विरुद्ध थाना स्थानीय पर अ0सं0 154/26 धारा 85/80(2)/352 BNS व 3/4 DP ACT पंजीकृत किया गया।

दौराने विवेचना मुकदमा उपरोक्त में अभि0गण की गिरफ्तारी व तलाश के क्रम में थाना नवाबाद पुलिस द्वारा आज दिनांक 30.03.2026 को मुखबिर की सूचना पर मैरी अंडरपास हाइवे के नीचे से अभियुक्तगण 1. रामानन्द यादव पुत्र स्व0 हरदयाल सिंह उम्र करीब 50 वर्ष 2. रामजी यादव पुत्र रामानन्द यादव उम्र करीब 25 वर्ष निवासीगण महाराणा प्रताप नगर पिछोर सरस्वती ज्ञान मंदिर के बगल में थाना नवाबाद जिला झाँसी को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

**नाम पता अभियुक्त-**

1. रामानन्द यादव पुत्र स्व0 हरदयाल सिंह उम्र करीब 50 वर्ष निवासी महाराणा प्रताप नगर पिछोर सरस्वती ज्ञान मन्दिर के बगल में थाना नवाबाद जिला झाँसी
2. रामजी यादव पुत्र रामानन्द यादव उम्र करीब 25 वर्ष निवासी महाराणा प्रताप नगर पिछोर सरस्वती ज्ञान मन्दिर के बगल में थाना नवाबाद जिला झाँसी

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

1. उ0नि0 श्री प्रदीप कुमार चौकी प्रभारी बजरंग कालोनी थाना नवाबाद झाँसी
2. का0 1842 भवतोष कुमार थाना नवाबाद झाँसी
3. का0 1898 गौरव कुमार थाना नवाबाद झाँसी